



मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2005---वैशाख 13, शक 1927

भाग 4

विषय सूची

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थपित विधेयक |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम, |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम, | |

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2005

क्र. एफ-4-10-05-जसं-चौबीस-राज्य शासन, जनसंपर्क विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-4-81-प्रका.-24 (1), दिनांक 30 मार्च 1982 द्वारा जारी विधान के नियमों, जनसंपर्क विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-6-20-84-प्रका-चौबीस-दिनांक 18 अप्रैल 1985, समसंख्यक, अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर, 1986 एवं संशोधन क्रमांक एफ 11-70-85-जसं-चौबीस, दिनांक 19 सितम्बर 2004 को विलोपित करते हुए, मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये निम्नानुसार नियमावली बनाता है:-

1. **नाम-** यह नियम मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2005 कहलायेंगे.
2. **सहायता राशि** - पत्रकारों के कल्याण के लिये शासन द्वारा आवंटित राशि से सहायता इन नियमों के अनुसार दी जायेगी.
3. **परिभाषाएं** - विषय और संदर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो, तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही है, जो उनके सामने दर्शाया जा रहा है;
 - 3.1 **शासन** - का अर्थ है मध्यप्रदेश शासन.
 - 3.2 **संचालक** - का अर्थ है संचालक, संचालनालय, मध्यप्रदेश.
 - 3.3 **प्रतिनिधि** - का अर्थ है, कोई पत्रकार/संवाददाता/फोटोग्राफर/कैमरामैन जो किसी अशासकीय समाचार एजेन्सी, ब्राड कास्टिंग कंपनी, टेलीविजन चैनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करता हो.
 - 3.4 **मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति-** का अर्थ है ऐसी समिति जिसका गठन मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचार प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रकरणों में परामर्श देने के लिये किया गया हो.

- 3.5 **सदस्य** - मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति में 16 संचार प्रतिनिधि, संचालक जनसंपर्क सदस्य एवं संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता प्रभाग के प्रभारी अपर संचालक, जनसंपर्क सदस्य सचिव होंगे. समिति में संचार प्रतिनिधियों का मनोनयन शासन द्वारा इस प्रकार किया जायेगा जिससे प्रदेश के प्रत्येक राजस्व संभाग और संचार माध्यमों का प्रतिनिधित्व हो सके.
- 3.6 **नियम का क्षेत्र**- मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता के नियम उन सभी संचार प्रतिनिधियों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश में निवास करते हैं और जिनका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश है.
- 3.7 **कार्यकाल** - मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति का कार्यकाल गठन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष होगा. तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, समिति तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि नई समिति का गठन नहीं हो जाता.
- 3.8 **सदस्यता की समाप्ति** - समिति के सदस्यों द्वारा सदस्यता से त्यागपत्र देने, सेवानिवृत्त होने, संबंधित स्थान से स्थानांतरित होने, संबंधित संस्थान से विमुक्त होने अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ होने अथवा ऐसे अन्य कारणों से जिसे शासन मान्य करे सदस्यता समाप्त हो सकेगी.
- 3.9 **बैठकें**- समिति की आवश्यकतानुसार एक वर्ष में चार बैठकें (सामान्यतः प्रत्येक तिमाही में एक बैठक) आयोजित की जायेगी.
- 3.10 **परिवार**- का आशय यथास्थिति आश्रित पति/पत्नी एवं नाबालिग बच्चों से है. समिति की बैठक आयोजित करने की सूचना सात दिन पूर्व जारी की जा सकेगी. आवश्यक होने पर आपातकालीन बैठक 48 घंटे की सूचना पर आयोजित की जा सकेगी.
4. **सहायता की पात्रता**- मध्यप्रदेश के ऐसे संचार प्रतिनिधि, जिन्हें समिति सहायता के लिये पात्र समझती है और इन पर आश्रित परिवार के सदस्य इस निधि से सहायता पाने के पात्र होंगे.
4. **सहायता देने की स्थितियां**- सहायता निम्नलिखित स्थितियों में दी जा सकेगी:-
- 5.1 कंडिका 3.3 नियम में उल्लिखित प्रतिनिधियों अथवा उस पर आश्रित सदस्यों को दीर्घ या गंभीर बीमारी या दुर्घटना में आहत होने पर इलाज के लिये.
- 5.2 किसी दैवी विपत्ती से पीड़ित होने पर.
- 5.3 संचार प्रतिनिधि के रूप में मध्यप्रदेश में कम से कम तीस वर्ष की सेवा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद निराश्रित होने पर वृद्धावस्था में विपन्नता के कारण.
- 5.4 कंडिका 3.3 में उल्लिखित प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाने पर कंडिका 4 के अनुसार यदि उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों की आजीविका का कोई साधन न हो.
5. **सहायता की सीमा**- पत्रकार कल्याण सहायता राशि से एक वर्ष में परिवार के एक सदस्य को एक बार ही सहायता दी जा सकेगी. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिये पर्याप्त प्रमाण और व्यय राशि अथवा संभावित व्यय का समाधान कारक ब्यौरा प्रस्तुत करने पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रूपये 20,000/- तक सहायता राशि उपलब्ध करायी जा सकेगी. किन्तु एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के सदस्यों को अधिकतम रूपये 20,000/- मात्र की ही सहायता राशि स्वीकृति हो सकेगी. सहायता राशि की स्वीकृति की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी:-
- 6.1 मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की अनुशंसा पर रूपये 20,000/- तक की सहायता संचालक जनसंपर्क द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी.
- 6.2 संचालक, जनसंपर्क संचालनालय द्वारा समिति की दो बैठकों के बीच के अंतराल, जो तीन माह से अनधिक होगा, में निर्धारित सीमा तक की सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी. ऐसे प्रकरण समिति की अगली बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन के लिये अनिवार्यतः रखे जायेंगे.
- 6.3 विशेष परिस्थितियों में, प्रतिनिधि द्वारा आवेदन पत्र एवं अन्य वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में, यह समाधान हो जाने पर कि प्रतिनिधि को इलाज के लिये राशि की आवश्यकता है,

संचालक, जनसंपर्क द्वारा आवश्यक सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी. जिसका अनुमोदन समिति की अगली बैठक में लिया जायेगा.

7. सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया-

7.1 सहायता प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित प्रतिनिधि अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्य को आवेदन करना होगा.

7.2 अशक्त होने के कारण सहायता प्राप्त करने के इच्छुक प्रतिनिधि अथवा आश्रितों को निकट से जानने वाले दो पत्रकार उनकी ओर से आवेदन कर सकेंगे. इस आवेदन पत्र पर क्रियाशील समिति के दो सदस्यों की अनुशंसा आवश्यक होगी.

8. **निर्णय-** प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा अन्तिम होगी और इसे वाद का विषय नहीं बनाया जा सकेगा.

9. **व्याख्या-** इन नियमों की व्याख्या के संबंध में शासन का निर्णय अन्तिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.ए. कबीर, उपसचिव,

आर्थिक सहायता का आवेदन पत्र
(मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम के अंतर्गत)

1. आवेदक (प्रतिनिधि)का नाम :
2. संस्था का नाम एवं मुख्यालय :
3. पद एवं कार्यस्थल :
4. निवास का पता :
5. दूरभाष क्रमांक :
6. प्रतिनिधि की मासिक आय :
7. रोगी का नाम तथा आवेदक से संबंध :
8. बीमारी का नाम :
9. चिकित्सालय जहां इलाज हो रहा है :
10. इलाज के लिये आवश्यक राशि : रुपये.....मात्र
11. इलाज पर अब तक व्यय की गई राशि. :
12. समिति के समाधान के लिये संलग्न किये गये प्रमाणों की सूची. :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

प्रमाणित किया जाता है कि दी गई उपर्युक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है चिकित्सक के अनुसार कालम 8 में बताई गई बीमारी गंभीर बीमारियों की श्रेणी में आती है. रोगी पूर्णतः मुझ पर आश्रित है तथा उसके आय का कोई स्रोत नहीं है. मेरी संस्था में उक्तानुसार रोगी के इलाज के लिये चिकित्सा अग्रिम देने अथवा चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है.

आवेदक के हस्ताक्षर.

प्रति,

संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश
भोपाल.